6-4-23 सरकार पैरोकार उप० / सरकार पैरोकार तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा प्रा० पत्र बाबत पत्रावली तलब तथा दावा विड्रो प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा दरख्वास्त पेश कर निवेदन किया गया है कि इन दावो को विड्रो करना चाहते हैं। अत: आदेश प्रदान किए जाए। उक्तानुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1(1) के आधार पर वाद को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय invito beneficium non datur के सिद्धांत से बाध्य है। अत: वाद विड्रो करने के आदेश दिये जाते है परन्तु साथ ही चूंकि वाद राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था व अब बिना किसी स्पष्ट कारण के विड्रो किया जा रहा है तो न्यायालय यह उचित समझता है कि राजकीय पैरोकार के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक विभागीय कार्यवाही यदि चाही जावे हेतु लाया जाना उचित रहेगा। अत: उक्तानुसार तहरीर भी जारी की जाए। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)